प्रकरण संख्या 05/2023 श्रीमती गंगा व अन्य बनाम रंगजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट के पिता/पति मृतक केरेंग ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की मृत्यु हो जाने से मृतक के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादी का वाद अबेट हो जाने के आधार पर खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 06.12.2022 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 17.02.2023 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश मेहता उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो गुम हो जाने से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नकल नहीं दी गयी, जिससे तीसरी बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मयाद कण्डोन फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र मनन किया। अपील प्रस्तुत करने में मात्र 12 दिन का विलम्ब हुआ है, जिससे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में [illegible] तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 2 [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हगजी की दिनांक 02.08.2016 को मृत्यु हो गयी, जिसकी सूचना प्रतिवादी ने न्यायालय को नहीं दी। दिनांक 25.07.2022 को जानकारी होने पर दिनांक 03.08.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था एवं इसके साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी के कारणों का उल्लेख कर दिया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पर्याप्त आधार नहीं मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। इसी प्रकार दिनांक 07.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती मीरा उर्फ मणी की मृत्यु हो गयी, जिसके प्रतिनिधि पूर्व से रेकार्ड पर होने से नाम हटाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2022 को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को उपशमन मानते हुए वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के उत्तराधिकारियों को उपशमन अपास्त करते हुए कायम मुकाम के आदेश फरमावें तथा मेरिट पर निर्णय करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किया एवं देरी का कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं बताया, जबकि 90 दिवस के भीतर मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वाद अबेट हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 हवजी की मृत्यु का प्रार्थना पत्र दिनांक 03–08–2022 को प्रस्तुत किया है, जबकि हवजी की मृत्यु दिनांक 02–08–2016 को हो चुकी थी। इस संबंध में अपीलान्ट का कथन है कि उन्हें [illegible] दिनांक 25–07–2022 को हुई एवं इस हेतु धारा 5 [illegible] का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested

मु–प्रशासन अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 मीरा की मृत्यु दिनांक 07–07–2020 को हुई है, जबकि नामकायमी का आवेदन दिनांक 27–09–2022 को प्रस्तुत किया है। इस संबंध में निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 मृतक मीरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पूर्व से रेकार्ड पर हैं इसलिए पृथक से कायम मुकाम की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 का नाम हटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 120 का उल्लेख करते हुए वादी का वाद मृतक के नाम कायमी का आवेदन समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर खारिज किया है। हालांकि प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 के मृतक के नामकायमी के आवेदन 90 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, किन्तु वादी ने देरी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में किया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में मात्र विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वाद को खारिज किया जाना विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–12–2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 मीरा के वारिसान पूर्व में रेकार्ड पर होने से उनका नाम हटाया जावे तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 2 हवजी उर्फ हगजी के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

11-11-25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध ...
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested